

प्ररूप सं. 33

[नियम 43 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा (1क) के प्रथम
परन्तुक के अधीन समाशोधन प्रमाणपत्र

फोलियो सं.

भारत सरकार

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता (या पति) का नाम
3. ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
4. *पासपोर्ट सं./आपात प्रमाणपत्र सं.

यह प्रमाणित किया जाता है कि

*(क) उपरोक्त आवेदक पर कोई दायित्व शेष नहीं हैं;

*(ख) उपरोक्त आवेदक ने उन करों के, जो धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या व्यय कर अधिनियम 1987 (1987 का 35) के अधीन संदेय हैं या हो सकते हैं, संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था की है।

यह प्रमाणपत्र को या उसके पश्चात् और से पूर्व प्रारंभ होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है।

स्थान :

तारीख :

(सील)

निर्धारण अधिकारी

* जो पैरा लागू न हो उसे काट दें।

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।